संवाद

स्वप्न सुंदरियां: बदलती लड़कियां

उसका नाम माफ़ी है। हां, यही है उसका असली नाम। 'अंग्रेज़ी में जिसे 'सॉरी' कहते हैं', गुलाबी चूड़ीदार और जाली वाली बाहों वाली जामुनी कमीज़ पहने उस लड़की ने मुझे समझाते हुए कहा। हरियाणा के रोहतक ज़िले में सिसना गांव के सोलंकी अनुसूचित जाति परिवार की तीसरी लड़की होने पर उसे यह नाम दिया गया था। पर इस होशियार, ज़िंदादिल और फुरतीली लड़की ने अपने इस क्षमायाचना भाव वाले नाम को त्यागकर खुद को तमन्ना कहना शुरू कर दिया है। एक भूतपूर्व सैनिक की यह बेटी अपने परिवार में बी.ए. करने वाली पहली लड़की है। लड़कर बस से रोहतक के नेकी राम कॉलेज तक अकेले सफ़र करने वाली तमन्ना वकील बनने का सपना देखती है और अपनी बहनों के पतियों से अलग तरह के लड़के के साथ ही शादी करना चाहती है। पूछने पर कि लड़का कैसा हो वह एक साधारण सा जवाब देती है, "जो मेरी फीलिंग को समझे, मेरी भावनाओं की कद्र करे।"

यह साहस का ही तो काम है- देश के उस हिस्से में रहते हुए ख्वाब देखने की हिम्मत करना जहां लड़कियों और उनके दोस्तों को अपनी मर्ज़ी से शादी करने के लिए मौत के घाट उतार दिया जाता है। पर यहां पर ख्वाब देखने वाली सिर्फ़ अकेली तमन्ना ही नहीं है। हरियाणा की नृशंस हत्याओं, पड़ोसी राजस्थान की कतारों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पिछले महीने दिल्ली के एक गांव वज़ीरपुर की बाढ़ और 'मान' के पुरातन मानकों की रक्षा के बीच जड़ पकड़ती एक सीधी-साधी आधुनिक सच्चाई है— औरतों की बढ़ती सामाजिक गतिशीलता।

देखने-सुनने में तमन्ना उस खास ग्रामीण लड़की की तरह लगती है जिसकी तादाद इस क्षेत्र में बढ़ती चली जा रही है: अपनी मां-बड़ी बहनों से बेहतर शिक्षित, ढीली कमीज़ की जगह चुस्त कुरती पहने, मोबाइल फ़ोन पकड़े, अपनी कमाने की क्षमता पर अधिक आत्म-विश्वास ओढ़े और अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीने की काबलियत पर फ़क्र करती और जिसको दबाना शायद कुछ मुश्किल है... कभी-कभी अपने ऊपर दुखद परिणाम पैदा करती—खाप पंचायतों, ग्रामीण बुजुर्गों, बंदूक चलाते भाई और गांव के दबंग पुरुषों के लिए- वह एक स्पष्ट चुनौती है।

परम्पराओं के तथाकथित रक्षक भी इस बात को स्वीकारते हैं। जाट खाप सम्मेलनों के अथक प्रशासक कर्नल चंदर सिंह दलाल जो सगोत्र विवाहों के विरोध में अभियान चला रहे हैं कहते हैं- "अब केवल लड़कों को दोष देना संभव नहीं है जैसा कि हम पहले करते थे कि वो हमारी बेटी को लेकर भाग गया था। आजकल जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए लड़कियां भी ज़िम्मेदार हैं।

वो पढ़ी-लिखी हैं, किसी ने उनको बेवकूफ़ नहीं बनाया है। किसी ने उनको फंसाया नहीं है।"

इसमें अचरज की कोई बात नहीं है कि कर्नल दलाल का इशारा बबली की ओर है। हरियाणा की शिक्षित, खूबसूरत युवा ज़मींदार परिवार की जाट लड़की जिसने अपने ही गोत्र के लड़के मनोज से विवाह करने का साहस दिखाया। स्थानीय अदालत ने इस मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया- मार्च में बबली के परिवार के पांच सदस्यों, जिन्होंने बबली-मनोज दोनों का खून किया था को मृत्युदंड की सज़ा दी। इस फैसले ने न सिर्फ़ रूढ़िवादी मंडलियों के बीच विस्मयकारी हलचल पैदा की बल्कि दूसरे जोड़ों को खुलकर बाहर आने की हिम्मत भी प्रदान की है।

पर कर्नल दलाल का संकेत मॉनिका नागर और उसकी चचेरी बहन शोभा जिनके रिश्तेदारों ने उन्हें वज़ीरपुर गांव में गोलियों से भून दिया था कि ओर भी हो सकता है। कॉलेज में पढ़ी, खुले विचारों वाली गूजर लड़की मॉनिका ने अपनी सगाई तोड़कर, "गांव बहिर्विवाह" नियम का उल्लंघन करते हुए अपने ही गांव के एक विजातीय राजपूत लड़के कुलदीप के साथ शादी कर ली। उसकी बहन शोभा ने इससे भी अधिक "बुरी" बात की- एक मुसलमान लड़के के साथ घर से भागकर, मॉडलिंग के ज़रिये कमाई करने की कोशिश। यह उस गांव में मान्य व्यवसाय नहीं हो सकता था जहां लोगों ने लड़कियों को स्कूल-कॉलेज जाने, या नौकरी करने की छूट तो दे दी है पर शर्त यह है कि नौकरी 'इज़्ज़तदार' हो, रात से पहले घर लौटने का इंतज़ाम हो और पहनावा सीधा-साधारण हो- फैशन परस्त नहीं और घर से भागना तो तौबा-तौबा।

एक ओर औरतों को अपनी बेहतरी के बारे में सोचने की 'इजाज़त' देना और दूसरी ओर "गलत" आदमी से शादी करने पर उन्हें मार डालना— हरियाणा में यह विरोधाभास बहुत तीव्र है जहां औरतों की शिक्षा का स्तर इतना ऊपर उठ गया है कि अपनी अनपढ़ या कम पढ़ी-लिखी मांओं की झलक तक उनमें दिखाई नहीं देती।

चूंकि ज़्यादा लड़कियां कॉलेज जाने लगी हैं इसलिए स्कूल खत्म करके बस से कॉलेज आने-जाने वाली लड़कियों का दिखना आम बात है। कुछ लड़कियां पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी भी करने लगती हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि उसका परिवार कितने खुले विचारों का है। कम व मध्यम आमदनी वाले परिवार लड़कियों की शिक्षा में उनका साथ देते हैं। आसानी से मिलने वाले शराबी, कम शिक्षित, ज़मीन के भरोसे जीवन चलाने वाले लड़कों की जगह मांएं इनके लिए पढ़े-लिखे वर चाहती हैं। एक गृहिणी शर्मिला ओहलन बताती है- व्यावसायिक लड़कों को शिक्षित लड़की चाहिए चाहे वह विवाह के बाद नौकरी करे या न करे। अपनी भतीजी के लिए लड़का ढूंढने का थका देने वाला काम करने वाली एक महिला कहती हैं- "अगर लड़की मेरी भतीजी की तरह अधिक शिक्षित भी हो तो भी वे सभी सर्टिफिकेट, मेडल, जूडो व खेलकूद के तमगे देखना चाहते हैं।"

जैसे-जैसे लड़कियों की गतिशीलता बढ़ती है वे ज़्यादा नौजवानों से मिलने लगती हैं। मनोज की बहन सीमा बनवाला जो खुद एक नई हरियाणवी महिला की छवि है, तेईस वर्ष की एमए पास पुलिस कॉस्टेबल सीमा वकालत करना चाहती है। वह बताती है, "लड़कियां बस से कॉलेज जाती हैं, रास्ते में दूसरे गांव के लड़कों से उनकी दोस्ती हो जाती है जिनके साथ उन्हें शादी करने की इजाज़त नहीं होती। अधिकांश अपने

- पिछले 25 वर्षों में हरियाणा में कॉलेज जाने वाली लड़कियों की संख्या चार गुना बढ़ी है।
- बारहवीं पास लड़कियों की संख्या पांच गुना बढ़ी है जबकि लड़कों की संख्या दोगुनी भी नहीं हुई।
- कुछ ज़िलों में लड़कों से ज़्यादा लड़कियां कॉलेज जाती हैं।
- परिवार चाहते है कि लड़कियां पढ़-लिख कर अच्छे पति हासिल करें, पर प्रेम विवाहों पर लगाम कसी जा रही है।

माता-पिता को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पातीं। बबली व मनोज की शादी हमारे गांव का प्रथम प्रेम विवाह था।"

पर पिछले तीन वर्षों में हालात काफी बदल गए हैं। अब ग्रामीण प्रेम संबंध जोड़ने वाले जोड़ों की संख्या काफी बढ़ गई है- पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय में सुरक्षा की मांग को लेकर आने वाले इन युवाओं के कारण अदालत का नाम 'मैरिज ब्यूरो' पड़ गया है। वरिष्ठ वकील अनुपम गुप्ता जो अदालत द्वारा नियुक्त कमेटी के सदस्य हैं के विचार में "लाल चूड़ा पहने और मेंहदी रचे हाथों वाली लड़कियां लड़कों से ज़्यादा दृढ़ निश्चय वाली हैं। अगर लड़की के माता-पिता भी अदालत में हों और उन्होंने लड़के के ख़िलाफ़ अपहरण का अभियोग लगाया हो तो भी लड़की उनका साथ नहीं देती। वे अपने चुनाव के अधिकार को लेकर स्पष्ट रूप से तैयार हैं और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं।"

"शिक्षा व तकनीक की मदद से युवा खाप पहचानों और गांव के पारम्परिक कोयों के बाहर नए सामाजिक गठबंधन स्थापित कर रहे हैं। वे इन पहचानों पर अब आश्रित नहीं हैं", चंडीगढ़ विकास व सम्प्रेषण संस्थान की जेंडर स्टडीज़ रिसर्च विभाग की अफ़सर रेणुका डागर कहती हैं। वकील राजीव गोदरा सिरसा के दातेर गांव के एक सत्रह वर्षीय लड़के से हुई बातचीत याद करते हुए बताते हैं- "जब उससे उस लड़की के बारे में पूछा गया जिसे मोबाइल फ़ोन पर एक पुरुष दोस्त से बात करते हुए पकड़ा गया था तो फैसले की तरफदारी करते हुए लड़के ने बताया, "बाहर जाकर इन लड़कियों को न जाने क्या हो जाता है। गांव के स्कूल में अगर हम इनसे कॉपी भी मांगते हैं तो ये टीचर से शिकायत कर देती हैं।"

पितृसत्तात्मक समाज के लिए ये सब बदलाव हलचल पैदा करने वाले हैं। पर कार्यकर्त्ता जागमती सांगवान के अनुसार वर्जित संबंधों व विवाहों को रेखांकित करने वाली उत्तेजना महिलाओं की यौनिकता पर नियंत्रण करने का स्पष्ट प्रयास है। "यहां पर जटिल सामाजिक-आर्थिक कारणों का जाल है। प्रमुख डर है कि विश्वासघाती औरतें अपने पतियों की मदद से *हिन्दू व्यक्तिगत कानून* के तहत अपने सम्पत्ति अधिकार हासिल करने की हिम्मत करेंगी- वो अधिकार जो अब तक एक अंतरंग दायरे में विवाह करने पर अक्सर त्याग दिए जाते रहे हैं।"

इसलिए अच्छा है कि उन्हें वर्जित विवाह के चक्रव्यूह में जकड़कर रखा जाए। साथ ही विजातीय और धर्म के बाहर के प्रतिबंध भी हों। इसके अलावा सगोत्र, अपने गांव के भीतर, दूसरे गोत्र, या फिर दूसरे गांव में विवाह करने पर रोक जहां वंशावली संबंध मौजूद हों आदि-आदि मनाहियां भी। व्यवहार में ये कानून उतने अपरिवर्तनीय नहीं हैं जितने दिखाई पड़ते हैं। समय-समय पर सामाजिक ज़रूरतों, स्त्री भ्रूण हत्या व गिरते लिंग अनुपात के कारण वधुओं की कमी के जवाब स्वरूप इनमें बदलाव किये जाते हैं। उदाहरण के तौर पर इन मामलों का दस्तावेज़ीकरण करने वाले कर्नल दलाल स्वीकारते हैं कि जोड़ों की दादी व माता-पिता के गोत्र मिलाने का पारम्परिक रिवाज अब धीरे-धीरे दरकिनार होता जा रहा है।

पचास सालों में और फीकापन आयेगा। आखिरकार चोटी और घाघरी लुप्त हो रही है। पर यह धीरे-धीरे ही होगा- विकास की एक प्रक्रिया से गुज़रकर। पर रफ़्तार कौन तय करेगाः क्या सिर्फ़-पदवी संभाले पुरुष या अन्य लोग भी- जैसे ये युवा औरतें? यही चुनौतीपूर्ण सवाल सम्मान के नाम पर होने वाली हत्याओं की खून छितरी पगडंडी पर मुंह बाए खड़ा है।

साभारः आउटलुक अंक 12 जुलाई